न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **11/2018** अपील रसद

श्री मानमल पिता मोखमचन्द जैन, उचित मुल्य दुकानदार, धावड़ी, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोर्डेट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर प्रकरण संख्या 45/2017 रसद तारीख फैसल 14.05.2018 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ, वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री विजय सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 08.08.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.17 को जॉच दल द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य दुकान धावड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 01.09.16 से 20.07.17 तक की अवधि में 1295 क्विंटल गेहूँ थोक विक्रेता से प्राप्त किया एवं 8.55 क्विंटल गेहूँ पूर्व का पोते था। पॉस मशीन से 1269.10 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। शेष 34.45 क्विंटल गेहूँ रहना चाहिये जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन पर 25.50 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध मिला। 8.95 क्विंटल गेहूँ स्टॉक में कम मिला। जबकि

प्रारम्भिक स्टॉक में 1 सितम्बर 2016 के कोई गेहूँ स्टॉक में पोते नहीं थे। उसके उपरान्त भी स्टॉक रजिस्टर में गेहूँ पोते बताये गये। भौतिक सत्यापन में चीनी 16 किलो 350 ग्राम कम पायी जाना बताया गया है जबकि मौके पर एक भी किलो चीनी कम नहीं थी। तौल में थोड़ी थोड़ी ज्यादा जाने से इस प्रकार का अन्तर सम्भव हैं। दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं किये जाने के उपरान्त भी उसका प्राधिकार पत्र अनावश्यक रूप से 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था 90 दिन समाप्त होते ही स्वतः शुरू हो जाती हैं। मौके पर 17 किलो चीनी एक कट्टे में पड़ी हुई थी। डीलर उचित मुल्य की दुकान का वितरण कार्य लम्बे समय से कर रहा हैं। उपभोक्ता संतुष्ट हैं। वितरण व्यवस्था संबंधी कोई शिकायत नहीं है इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश दिया गया जो न्याय व विधि के विपरीत होकर बिना अधिकार के है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.18 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व सिक्युरिटी राशि बहाल करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण उचित मुल्य दुकानदार के स्टॉक रजिस्टर/पॉस मशीन के मुकाबले 8.95 क्विंटल गेहूँ कम मिलना बताया जा रहा है जबकि डीलर के दिनांक 01.09.16 के प्रारम्भिक स्टॉक में कोई गेहूँ पोते नहीं था। निरीक्षण दल द्वारा इसको देखा ही नहीं गया। रेकार्ड के मुकाबले निरीक्षण दिनांक का गेहूँ गोदाम में बराबर था। चीनी भी 17 किलो एक कट्टे में पड़ी हुई थी जिसको देखा नहीं गया था। रेकार्ड के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर चीनी बराबर थी। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। काफी लम्बे समय से सेन्टर की वितरण व्यवस्था की जाती रही हैं। दुकान से लगे किसी भी उपभोक्ता की वितरण व्यवस्था के मुकाबले कोई शिकायत नहीं रही हैं। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अतः कृपया अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल किया जाकर सेन्टर की वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें। अपनी बहस की ताईद में ईएफआर 2006(1) पेज 533, ईएफआर 2011(1) पेज 165, ईएफआर 2011(1) पेज 398, ईएफआर 2011(1) पेज 400 एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एसबीसिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 खेमराज बनाम सरकार की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के कथनो में निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण जॉच दल को स्टॉक के मुकाबले सेन्टर पर गेहूँ 8.95 क्विंटल कम मिले व शक्कर 16.350 किलो कम मिली। मौके पर इस संबंध में डिलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। नाही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय में इस संबंध में अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु

अवसर प्रदान किया गया। उसके उपरान्त भी कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर आरोप स्वतः साबित होने व वितरण में की गई अनियमितताओ के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जो उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.10.89 का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि निरीक्षण दल द्वारा वक्त निरीक्षण 8.95 क्विंटल गेहूॅ कम बताया गया है और निरीक्षण में गेहूॅ का प्रारम्भिक स्टॉक 8.55 क्विंटल बताया गया हैं। जो प्रारम्भिक स्टॉक बताया गया है वह किस आधार पर बताया गया हैं। जिस गेहूॅ को प्रारम्भिक स्टॉक यदि स्टॉक रजिस्टर से लिया गया है तो उसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध गेहूॅ स्टॉक व वितरण का विवरण तालिका जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ 13 पर लगी हुई है जिसको देखने पर ज्ञात होता है कि सेन्टर का प्रारम्भिक स्टॉक शून्य बता रखा हैं एवं वक्त निरीक्षण चीनी 16.350 किलोग्राम कम बतायी गई हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये दिनांक 24.07.17 को निलम्बन किया जाकर सेन्टर की राशन सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। परन्तु 90 दिन समाप्त होते ही अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था ना तो चालू की गई। करीबन 10 माह पश्चात् प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश किया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 आदेश दिनांक 10.05.18 के अनुसार 90 दिन के लिये लाईसेन्स निलम्बित करते हुए भी एक वर्ष

तक लाईसेन्स बहाल नहीं किये जाने से वितरण व्यवस्था तुरन्त चालु करने का आदेश दिया गया हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय को प्रथम दृष्ट्या तत्थ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर का आदेश दिनांक 14.05.18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को उचित मूल्य की दुकान धावड़ी तहसील लसाड़िया की वितरण व्यवस्था पुनः प्रदान करते हुए नये सीरे से अपीलान्ट को सुनवाई का पुनः अवसर दिया जाकर उपलब्ध साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए गेहूँ के दिनांक 01.09.16 के प्रारम्भिक स्टॉक के संबंध में प्रमाणित साक्ष्यो के आधार पर जॉच कर प्रकरण में विधिक निर्णय नये सीरे से कार्यवाही करते हुए पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर